

13.08.2024:—पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने निवेदन किया कि लोक अदालत कि भावना से पक्षकारों के मध्य में आपस में राजीनाम हो गया है इसलिए वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्रा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विद्रा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली वादी अधिवक्ता
गई प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली
निवेदन किया कि लोक अदालत
मध्य में आपस में राजीनाम
आगे कोई कार्यवाही नहीं
करना चाहते। इसलिए वाद
पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज
(विद्रा) फरमाया जावे। वादी
अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त
प्रार्थना पत्र पर सुना गया।
पत्रावली का अवलोकन किया
गया। बाद अवलोकन उक्त
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर उक्त वादी का वाद पत्र
मौजूदा सूरत में विद्रा (खारिज)
किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद
तरबीज तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

